न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री इन्द्र कुमार पुत्र गोकुलचन्द जी, जाति-अग्रवाल, निवासी-वराडा, तह. व जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री किशोर कुमार पुत्र धरमाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- पुरोहितों का वास, वराडा, तहसील व जिला-सिरोही
2. श्री वरदाराम पुत्र धरमाजी, जाति- पुरोहित, निवासी- पुरोहितों का वास, वराडा, तहसील- व जिला- सिरोही
3. ग्राम पंचायत, वराडा जरिये सरपंच, तहसील व जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 09/2018

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 25 फरवरी, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी श्री इन्द्र कुमार पुत्र गोकुलचन्द जी, जाति- अग्रवाल, निवासी- वराडा की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2516.75 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 26.6.2010 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, वराडा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या- 3 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवासी ने बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि दिनांक 03.7.2008 को ग्राम पंचायत वराडा में एक आवेदन पत्र किशोर कुमार के हस्ताक्षर से दो लोगों के नाम से प्रस्तुत किया गया कि ग्राम वराडा में पूर्वजों के जमाने से एक मकान बना हुआ है। इसके उत्तर में इन्द्रमल का मकान है, दक्षिण में भंवरलाल पुत्र धरमाजी पुरोहित का मकान है, पूर्व में तोलाराम पुत्र सोनाराम पुरोहित का मकान व पश्चिम में आम रास्ता है। इस आवेदन में किसी प्रकार का

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

नाप किसी भी दिशा तथा भुजा का अंकित नही किया गया है। उक्त मकान पर विगत 40 वर्षो से अपना कब्जा होना बताया है, जबकि जिस समय आवेदन प्रस्तुत हुआ उस समय किशोर कुमार ने अपनी आयु 37 वर्ष होना अंकित किया था जो उसके द्वारा 04.7.2008 को निष्पादित शपथ पत्र से स्पष्ट होती है, जिसमें उसने अपने नाम परिवर्तन की घोषणा की थी। जिस दिन पट्टे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ उस दिन किशोर नाम का कोई व्यक्ति नही था, बल्कि कस्तूराराम नाम था। नाम परिवर्तन दिनांक 04.7.2008 को किया गया। इसके बाद दिनांक 13.5.2008 को एक अन्य आवेदन फिर पट्टा बनाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें भी भूमि का नाप अंकित नही किया गया। ग्राम पंचायत की पत्रावली में प्रारम्भ में किशोर कुमार का नाम अंकित है उसमें वरदाराम का नाम बाद में जोडा गया है जो आदेशिका में स्याही के भेद से स्पष्ट दिखलाई पडता है। यह दिनांक 05.8.2008 को दो प्रकार की कार्यवाही एक साथ की गई। पहली आदेशिका में मिसल कायम करने का आदेश लिखा गया तथा उसके बाद उसी दिन दूसरी आदेशिका लिख गई जिसमें मौका देखने हेतु वार्ड पंचों की कमेटी का गठन करने का लिखा गया, परन्तु किसी भी वार्ड पंच का नाम अंकित नही किया। जबकि वार्ड पंचों का नाम अंकित किया जाना राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत आवश्यक होता है और एक ही बैठक में पत्रावली कायम करके स्थल निरीक्षण का आदेश या संकल्प पारित नही किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम बैठक में पत्रावली दर्ज होने के बाद नियम 146 के तहत प्रपत्र 21 में पंजिका में दर्ज होना आवश्यक होता है। इस मामलें में इस नियम की पालना नही की गई है, जबकि यह नियम आज्ञापक है। दिनांक 05.8.2008 को मोका निरीक्षण करने की जो आज्ञा पारित की गई थी उसके सन्दर्भ में दिनांक 05.9.2008 को मौका देखा गया। यह मौका निरीक्षण के रिपोर्ट के प्रथम भाग में 05.9.2008 की तारीख अंकित की गई है। जबकि दूसरे भाग में मौका निरीक्षण रिपोर्ट बनाने की तारीख 24.12.2008 अंकित की गई है जिसमें लिखा गया है कि पंचायत सचिव लूण सिंह द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 24.12.2008 की बनाई गई। दिनांक 24.12.2008 को ग्राम पंचायत की बैठक थी। यह सारी कार्यवाही बनावटी है क्योंकि इस कार्यवाही में जो नक्शा बनाया गया है उसके अनुसार दिनांक 03.7.2008 को पत्रावली संख्या 10 दायर की गई। जबकि वह पत्रावली ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.8.2008 को प्रस्तुत की जाती है। मौका निरीक्षण दिनांक 05.9.2008 को 10 बजकर 30 मिनट पर किया जाता है, जबकि नक्शा दिनांक 05.8.2008 को बनाया गया है। इस प्रकार, एक ही दस्तावेज को बनाने की तीन तारीख अंकित की गई है। दिनांक 24.12.2008 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया है उस आपत्ति नोटिस पर ग्राम पंचायत की गोल मोहर नही लगाई जाती है जबकि वह लगानी आवश्यक होता है। इस आपत्ति नोटिस पर चस्पा करने का उल्लेख अवश्य किया गया है परन्तु किस स्थान पर चस्पा किया गया, यह कहीं पर भी अंकित नही है। दिनांक 21.4.2010 को सोदाराम पुत्र जेठाजी तथा रगाराम पुत्र मानाजी घांची के बयान लिये गये, यह दोनों व्यक्ति अनपढ है और बयानों में इनकी उम्र नही लिखी गई है। उन बयानों में एक महत्वपूर्ण तथ्य आया है कि इस मकान को अन्य भाईयों ने सहमति से दिया है। वह अन्य भाई कौन है? इस बारे में

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई है तथा इसी दिन ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का संकल्प पारित किया गया है। इस संकल्प को पारित करने के बाद दिनांक 26.6.2010 को राशि रुपये 260/- जमा किये जाकर पट्टा संख्या 10 दिनांक 26.6.2010 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व कब्जे व मकान बने होने के तथ्य की जांच नही की गई है, जबकि आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदक की उम्र 37 वर्ष है तो आवेदक का कब्जा 40 वर्ष पुराना कैसे हो सकता है। यह कि वर्ष 2004 की मतदाता सूची के अनुसार किशोर कुमार उर्फ कस्तुरराम पुत्र धरमाजी तथा वरदाराम पुत्र धरमाजी का आवास मकान संख्या 433 में था जिसके पास मकान संख्या 434 धरमी बाई का था। जबकि प्रार्थी का मकान लगभग 50 मकान दूर पडता था। प्रार्थी के मकान के एक तरफ पुखराज पुत्र भबूताराम, अरुणा देवी पत्नि पुखराज का निवास था जो किरायेदार थे। इस प्रकार, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का निवास स्थान 2004 में प्रार्थी के पास कहीं पर भी नही था। वर्ष 1993 में भी प्रार्थी के पास अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पडौस नही है। यह कि जिस दिन आवेदन प्रस्तुत किया गया है उस दिन स्थल निरीक्षण करके उसका नक्शा बनाने की फीस जमा नही की गई है, जबकि आवेदन के साथ नक्शा नही होने पर यह फीस जमा होने पर नक्शा बनाया जाता है। जिस दिन भूमि का पट्टा दिया गया है उस दिन वह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे में नही थी व न ही उनका मकान बना हुआ था। उनके किसी भाई का अथवा रिश्तेदार का कोई मकान यदि बना हुआ था तो उससे खरीदने का विधिक दस्तावेज होना चाहिये। इस मामले में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। इसके अलावा, पंचायत में जो आदेशिका दिनांक 21.4.2010 को लिखी गई है उसमें किसी भी प्रकार का विवेचन कब्जे के विषय में तथा मकान के विषय में नही किया गया है। मौके का जो निरीक्षण किया गया है उसमें कहीं पर भी मकान बना होने का कोई उल्लेख नही किया गया है। मौका निरीक्षण के बाबत केवल मात्र छपे छपाये फॉर्म पर वार्ड पंचों ने हस्ताक्षर किये है व सचिव के हस्ताक्षर नही है। जबकि नियम 146 यह कहता है कि इस प्रकार की रिपोर्ट पंचायत सचिव ही तैयार करेगा। इसके अलावा, दिनांक 21.4.2010 को जो बयान लिये गये है वह दोनों व्यक्ति अनपढ है जिनको पढना नही आता है उनके बयान तत्कालीन सरपंच द्वारा लिया जाना बताया है तथा तत्कालीन सरपंच ने पूरे बयान में कही पर भी यह अंकित नही किया है कि यह बयान उसके द्वारा उन दोनों को पढ़कर सुनाये गये तथा समझाये गये है। इस बयान को लेने की तारीख उपर नही लिखी गई है तथा बयान भी तत्कालीन सरपंच की हस्तलिपि में नही है। यह कि प्रार्थी के पडौस में पूर्व में जारी पट्टों में प्रेमा पुत्र राजिंग जी पुरोहित का नाम दर्ज था और इस बात की पुष्टि दिनांक 11.8.1949 को जारी पट्टे से होती है, इसके बाद दिनांक 21.12.2002 को प्रार्थी की माता के नाम एक भूखण्ड का पट्टा जारी हुआ है जिसमें दक्षिण की तरफ मंछाराम पुत्र पूनमाजी पुरोहित का भूखण्ड बताया गया है, आज भी वह भूखण्ड है। अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 को जो पट्टा जारी किया गया है उसमें यह भूखण्ड शामिल नही है और उसके पास मंछाराम पूनमाराम जी से हस्तान्तरण का कोई विधिक दस्तावेज

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

भी नही है। इस भाग पर उसका अतिक्रमण है इस बाबत एक नक्शा परिशिष्ठ 'अ' प्रस्तुत किया है जिसमें मंछाराम का भूखण्ड भी बताया गया है जो आज भी खाली पडा है जिस पर अब कुछ निर्माण कार्य किया जा रहा है। अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टा संख्या 10 दिनांक 26.6.2010 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ग्राम वराडा में स्थित स्वयं के विभक्त शुदा पुश्तैनी पुराने मकान का ग्राम पंचायत वराडा से विनियमतिकरण कराने व पट्टा जारी करने बाबत आवेदन मय मकान की चतुर्दशी दर्ज कर प्रस्तुत किया था जिसकी पंचायत में दायरा दिनांक 03.7.2008 है। यह कि प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि पर बना हुआ पुश्तैनी मकान अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 का है जिसके लिये अप्रार्थीगण ने पंचायत से पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि किशोर कुमार नाम का कोई व्यक्ति नही है, जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी किशोर कुमार को पूर्व में कस्तूराराम के नाम से जाना जाता था तथा अप्रार्थी किशोर कुमार ने दिनांक 04.7.2008 को अपना नाम कस्तूराराम से परिवर्तन कर किशोर कुमार कर लिया था। इस कारण से अप्रार्थी किशोर कुमार ने ग्राम पंचायत, वराडा में दिनांक 05.7.2008 को उक्त मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु पुन: संशोधित आवेदन मय नाम परिवर्तन की सूचना सहित प्रस्तुत किया था। जिस पर ग्राम पंचायत, वसडा द्वारा विधिवत मिसल दायर की जाकर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के आवेदन पर ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा सचिव से भूमि का नजरी नक्शा बनवाया है उसके बाद तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित कर मौके का निरीक्षण करवाया है। तत्पश्चात् मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट ग्राम पंचायत में प्रस्तुत होने पर एक माह का आपत्ति नोटिस जारी कर चस्पा करवाया गया है तथा अन्दर मियाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 को उक्त पुश्तैनी पुराने मकान का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव पारित करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत नियमानुसार राशि ग्राम पंचायत, वराडा में जमा होने के बाद ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 10 दिनांक 26.6.2010 को जारी किया गया है। यह कि प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 का पुश्तैनी पुराना मकान बना हुआ था जो अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के पुश्तैनी कब्जे मालकी का होने से ग्राम पंचायत, वराडा में अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 ने उक्त पुश्तैनी पुराने गृह का नियमन करवाने हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा बाद जांच राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह कि उक्त मकान अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 की स्वअर्जित सम्पति नही होकर पुश्तैनी सम्पति है तथा प्रार्थी ने भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त मकान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की पुश्तैनी सम्पति नही होकर स्वअर्जित

....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सम्पति हो। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त मकान अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 का पुश्तैनी मकान है। प्रार्थी ने ऐसा भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है कि किशोर कुमार पुत्र धरमाजी पुरोहित नाम का कोई व्यक्ति ग्राम वराडा में नही हो। प्रार्थी ने ऐसा भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया है कि अप्रार्थी किशोर कुमार को पूर्व में कस्तूराराम नाम से न जाना जाता हो तथा किशोर कुमार पुत्र धरमाजी पुरोहित व कस्तूराराम पुत्र धरमाजी पुरोहित दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हो। अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि अप्रार्थी किशोर कुमार की उम्र तत्सयम 37 वर्ष होने से यह तथ्य साबित नही होता है कि उक्त मक़ान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पुश्तैनी मकान नही हो तथा इनका कब्जा अपने पिता के जरिये 40 वर्षो से पुराना नही हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृहों के नियमन का प्रावधान है तथा उक्त मकान अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के पुश्तैनी होने व 40 वर्षो से पुराना होने से ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 को नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि कोई बेटा या पोता अपने पैतृक मकान का पट्टा नही बनवा सकता हो। अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि गवाहों के बयानों को सरपंच द्वारा R.O.&A.C. नही करने के कारण तथा और आपत्ति नोटिस पर मुहर अंकित नही होने को अनियमितता की श्रेणी में नही माना जा सकता है। यह कि वर्ष 1993 व 2004 की मतदाता सूची में प्रार्थी के पडौस में अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 का नाम नहीं होने से यह तथ्य साबित नही होता है कि प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि पर बना हुआ पुराना मकान अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 का पुश्तैनी न हो, क्योंकि उक्त मकान को किराये दिये जाने से मतदाता सूची में प्रार्थी के पडौस में किरायेदारों का नाम अंकित किया गया हो। अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी ने माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही में प्रश्नगत पट्टे से संबंधित सम्पति आवासीय मकान के बारे में गलत तथ्यों के आधार पर वाद संख्या 32/2017 प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया नही होने से माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही द्वारा दिनांक 16.11.2017 को खारिज किया गया था, जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने माननीय जिला न्यायालय, सिरोही में अपील प्रस्तुत की गई जो माननीय जिला न्यायालय, सिरोही द्वारा दिनांक 25.1.2018 को खारिज की गई है। इस प्रकार, माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही प्रार्थी के वाद को प्रथम दृष्टया मामला नही माना है। यह कि अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 को पट्टा संख्या 10 दिनांक 26.6.2010 को जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र 10 वर्ष के विलम्ब के बाद प्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रश्नगत पट्टे के संबंध में प्रार्थी को वर्ष 2017 में ही जानकारी हो चुकी थी, लेकिन प्रार्थी को प्रश्नगत पट्टे की जानकारी होने के बाद भी एक वर्ष से ज्यादा विलम्ब से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कानून परिपोषणीय नही है। जहां अधिनियम/नियमों में मियाद अवधि निर्धारित नही है, उन मामलों में युक्तियुक्त समय एक वर्ष होता है। यह कि प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना

....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पत्र अलग से प्रस्तुत होने का तथ्य अंकित किया है, लेकिन अलग से ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही होन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के कथनों के जवाब में प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया था तथा माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है तथा मूल वाद अभी भी माननीय सिविल न्यायालय, सिरोही में लम्बित है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा ग्राम पंचायत, वराडा से प्राप्त अभिलेख का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत क्षेत्रफल 2516.75 वर्गफीट भूमि का पंचायत संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.4.2010 के अनुसरण में पट्टा संख्या 10 दिनांक 26.6.2010 को जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23-क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :-

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल-

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 100/- रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये- 200/- रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप-खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

प्रकरण में ग्राम पंचायत, वराडा से प्राप्त अभिलेख मिसल संख्या 10 दिनांक 03.7. 2008 का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, वराडा में अप्रार्थी किशोर कुमार ने पुश्तैनी मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु दिनांक 03.7.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त आवेदन पत्र किशोर कुमार व वरदाराम की ओर से प्रस्तुत होना आवेदन पत्र में अंकित किया है, जबकि आवेदन पत्र केवल किशोर कुमार

....पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

के हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर सरपंच, ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा दिनांक 03.7.2008 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है। यह कि ग्राम पंचायत, वराडा की उक्त मिसल में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अप्रार्थी किशोर कुमार ने शपथ पत्र दिनांक 04.7.2008 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है व शपथ पत्र के साथ समाचार पत्र में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशित करने की कतरन भी प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार अप्रार्थी किशोर कुमार द्वारा अपना नाम परिवर्तन कस्तूराराम से किशोर कुमार किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, वराडा की उक्त मिसल में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि दिनांक 13.5.2008 को ग्राम पंचायत, वराडा में अप्रार्थी किशोर कुमार व वरदाराम के दोनों के हस्ताक्षर से पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उक्त मकान का पट्टा बनाये जाने का अनुरोध किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत, वराडा की उक्त मिसल की आदेशिका दिनांक 05.8.2008 में यह अंकित किया गया है कि ''दिनांक 05.8.08 को पंचायत बैठक में उपस्थित होकर प्रार्थी श्री किशोर कुमार, वरादाराम S/0 धर्माजी पुरोहित ने पुश्तैनी गृह विनियमितिकरण के क्रम में पट्टा दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सदन द्वारा मामला दर्ज रजिस्टर कर मिसल कायम करने का निर्णय लिया साथ ही पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।'' जबकि ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा मिसल संख्या 10 दिनांक 03.7.2008 को दर्ज की गई। ग्राम पंचायत, वराडा की मिसल अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 05.8.08 की आदेशिकायें ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा दो लिखी गई है। उक्त प्रथम आदेशिका में मिसल कायम करने का निर्णय लिया है व दूसरी आदेशिका दिनांक 05.8.08 में तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इस आदेशिका में तीन वार्ड पंचो के नाम का उल्लेख नही किया गया है। ग्राम पंचायत, वराडा की उक्त मिसल संख्या 10 दिनांक 03.7.2008 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण में तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण दिनांक 05.9.2008 को किया जाना अंकित किया गया है, जबकि वार्ड पंचों की उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट (निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण) को ग्राम पंचायत के सचिव लूणसिंह द्वारा दिनांक 24.12.2008 को लिखी (अंकित) की गई है तथा दिनांक 24.12.2008 को ही ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत होना आदेशिका दिनांक 24.12.2008 में अंकित किया गया है। ग्राम पंचायत वराडा की उक्त मिसल के अवलोकन से ग्राम पंचायत, वराडा में किशोर कुमार द्वारा दिनांक 03.7.2008 को प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र में तथा ग्राम पंचायत, वराडा की प्रथम आदेशिका दिनांक 05.8.2008 में वरदाराम का नाम बाद में जोडा जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा, जिस तिथि 03.7.2008 को किशोर कुमार द्वारा आवेदन किया गया था उस दिन उस आवेदन पत्र के साथ किशोर कुमार द्वारा ग्राम पंचायत, वराडा में नाम परिवर्तन की सूचना नही दी थी तथा दिनांक 04.7.2008 को किशोर कुमार द्वारा ग्राम पंचायत, वराडा में अपना नाम परिवर्तन कस्तूराराम से किशोर कुमार करने की सूचना दी गई। इस प्रकार, यह भी स्पष्ट है कि जिस तिथि 03.7.2008 को किशोर कुमार द्वारा ग्राम पंचायत, वराडा में उक्त मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया उस आवेदन में वरदाराम के हस्ताक्षर नही है तथा उस

....पेज आठ पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दिन किशोर कुमार का किशोर कुमार नही होकर कस्तूराराम था। ग्राम पंचायत, वराडा की मिसल अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 03.7.2008 को ग्राम पंचायत, वराडा में अप्रार्थी किशोर कुमार द्वारा आवेदन करने पर ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा मिसल दिनांक 03.7.2008 को दर्ज रजिस्टर की गई तथा मिसल दर्ज करने के आदेश की आदेशिका दिनांक 05.8.2008 को लिखी गई है। इसके अलावा, अप्रार्थी किशोर कुमार द्वारा ग्राम पंचायत, वराडा में उक्त आवेदन दिनांक 03.7.2008 को पेश करने के बाद अप्रार्थी किशोर कुमार व वरदाराम द्वारा दिनांक 13.5.2008 को उक्त मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु पुन: आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त मिसल ग्राम पंचायत, वराडा में दिनांक 03.7.2008 से लम्बित थी। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, वराडा की उक्त मिसल संख्या 10 दिनांक 03.7.2008 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों का पूर्ण रुप से पालन नही किया गया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 26.6.2010 को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, वराडा को नये सिरे से आवेदन पत्र प्राप्त कर भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों तहत विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वराडा द्वारा अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 क्रमश: किशोर कुमार व वरदाराम पुत्र धरमाजी पुरोहित, निवासी- वराडा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 दिनांक 26.6.2010 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, वराडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि ग्राम पंचायत, वराडा अप्रार्थी संख्या- 1 व 2 से नये सिरे से आवेदन पत्र प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच कर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत विधि सम्मत निस्तारण करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

25.02.19

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही